[2015] 5 एस.सी.आर 1

शशिकला और अन्य

बनाम

गंगालक्षम्मा और अन्य

(2015 की सिविल अपील संख्या 2836)

13 मार्च, 2015

[न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा और न्यायमूर्ति आर. भानुमती]

*मोटर वाहन अधिनियम, 1988––धारा 168––घातक दुर्घटना––मृतक 45 वर्षीय स्व-नियोजित व्यक्ति था—मुआवजे—की गणना–– निचली अदालतों ने भविष्य के लिए कोई बढ़ोतरी किए बिना मुआवजे की गणना की– भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे में वृद्धि की अपील पर—अभिनिर्धारित: न्यायमूर्ति भानुमती अनुसार: दावेदारों को दी जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है, बिना इस मुद्दे पर ध्यान दिए कि क्या भविष्य की संभावनाओं के लिए कुछ अतिरिक्त किया जाना चाहिए या नहीं– न्यायमूर्ति गोपाला गौड़ा अनुसार: यद्यपि बढ़े हुए मुआवजे पर सहमति है, भविष्य की संभावनाओं के लिए अतिरिक्त मुआवजे के मुद्दे पर भी विचार करने की आवश्यकता है— मुद्दे का निर्धारण करने के लिए मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाएगा।*

*न्यायिक अनुशासन— सुप्रीम कोर्ट की खंड पीठ द्वारा मामले को बड़ी बेंच को संदर्भित करना– उस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए जिसके संबंध में दो तीन-न्यायाधीशों की पीठों द्वारा परस्पर विरोधी विचार दिए गए थे– अभिनिर्धारित: न्यायमूर्ति गोपाला गौड़ा अनुसार दो जजों की पीठ मामले को सीधे पांच जजों की बड़ी पीठ के पास नहीं भेज सकत– सही तरीका यह होगा कि मामले को समन्वित ताकत वाली बेंच यानी तीन जजों वाली बेंच के सामने रखा जाए।*

मामले को सीमित मुद्दे पर बड़ी बेंच को रेफर करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

न्यायमूर्ति भानुमती अनुसार: 1. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 अदालतों/न्यायाधिकरणों को मुआवजे की राशि निर्धारित करने का आदेश देती है जो न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो। ऐसी शक्ति का व्यापक दायरा ट्रिब्यूनल को मनमाने ढंग से मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता है, हालांकि अधिनियम एक लाभकारी कानून है, इसे न तो लाभ के स्रोत के रूप में और न ही प्रभावित व्यक्तियों के लिए अप्रत्याशित लाभ के रूप में अनुमति दी जा सकती है। मुआवज़े का निर्धारण निष्पक्ष और उचित तथा कानूनी मानकों के अनुसार स्वीकार्य होना चाहिए। [पैरा 15] (14-डी-एफ)

2. इस मुद्दे पर ध्यान दिए बिना कि क्या भविष्य की संभावनाओं के लिए कुछ अतिरिक्त किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मृतक की उम्र और मृतक द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति, उसकी आय को ध्यान में रखते हुए, उचित मुआवजा देना न्यायालय की ओर से अनिवार्य है, उसकी आय जैसा कि वर्ष 2006-07 के आयकर रिटर्न में बताया गया है यानी 2,02,911/- रुपये को मृतक की आय के रूप में लिया जा सकता है। उक्त राशि का दस प्रतिशत यानी 20,290/- रुपये आयकर के रूप में काटे जाएंगे और शेष 1,82,620/- रुपये होंगे। व्यावसायिक कर के लिए कटौती की जाने वाली राशि 2,400/- रुपये है और इसे काटने के बाद शेष राशि 1,80,220/- रुपये बनती है। वर्ष 2006-07 के लिए गृह संपत्ति से आय 20,000/- रुपये दिखाई गई है और इसे घटाने के बाद, शुद्ध राशि 1,60,220/- रुपये होती है। व्यक्तिगत खर्चों में से 1/4 (एक/चौथाई) घटाकर जो 40,055/- रुपये बनता है, निर्भरता की हानि/योगदान की हानि 1,20, 165/- रुपये प्रति वर्ष होती है। हाई कोर्ट ने मृतक की उम्र 45 वर्ष मानकर सही माना है और गुणक 14 अपनाया है। निर्भरता की कुल हानि की गणना

रु.16,82,310/- (रु.1,20,165/-x 14) पर की गई है। (पैरा 16 और 17] (15-बी-ई, जी)

3. संघ की हानि, प्यार और स्नेह की हानि और अंतिम संस्कार के खर्च जैसे पारंपरिक नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना है। संघ के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये और नाबालिग बच्चों के प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 25,000/- रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 25,000/- रुपये दिए जाते हैं, कुल करने के लिए रु. 2,50,000/-। इस प्रकार, दावेदारों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाकर 19,32,310/- रुपये किया जाता है। [पैरा 18] [16-सीई]

*रेशमा कुमारी एवं अन्य बनाम मदन मोहन एवं अन्य* (2013) 9 एससीसी 65: 2013 (2) एससीआर 706; *सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य* (2009) 6 एससीसी 121: 2009 (5) एससीआर 1098; *संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य* (2012) 6 एससीसी 421: 2012 (3) एससीआर 1178; *नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह एवं अन्य* (2003) 2 एससीसी 274: 2002 (4) सप्ल। एससीआर 499; *ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहम्मद नासिर और अन्य* (2009) 6 एससीसी 280: 2009 (8) एससीआर 829;*निंगम्मा और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* (2009) 13 एससीसी 710: 2009 (8) एससीआर 683; *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य* (2013) 9 एससीसी 54: 2013 (5) एससीआर 961; *जीजू कुरुविला और अन्य बनाम कुंजुजम्मा मोहन और अन्य* (2013) 9 एससीसी 166: 2013 (7) एससीआर 276-पर भरोसा किया गया।

<u>न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा के अनुसार</u>: (आंशिक रूप से असहमत)

अभिनिर्धारित: 1.1 मृतक की आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ने का प्रश्न पर वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले की तुलना में जहां मृतक स्वनियोजित था या निश्चित वेतन पर, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। [पैरा 1] (17-सी-डी)

1.2 *राजेश और **संतोष देवी मामले इस दृष्टिकोण को आकार देते हैं कि स्वनियोजन के मामले में भी भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिएऔर यह भी कि इस तरह के मुआवजे के निर्धारण के लिए कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं हो सकता है। (पैरा 8] (25-जी)

संजय वर्मा बनाम हरियाणा रोडवेज (2014) 3 एससीसी 210: 2014 (1) एससीआर 924––पर भरोसा किया गया।

1.3. हालाँकि, निर्भरता के नुकसान के मुआवजे को निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय में जोड़े जाने वाली भविष्य की संभावनाओं के संबंध में मामला इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया जा सकता है और अंततः इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। इसलिए, विधि अनुसार एक उपयुक्त बड़ी पीठ के गठन के लिए उचित आदेश के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए। [पैरा 10] [27-जी-एच; 28-ए]

रेशमा कुमारी और अन्य बनाम मदन मोहन और अन्य (2013) 9 एससीसी 65: 2013 (2) एससीआर 706; *राजेश एवं अन्य बनाम राजबीर सिंह एवं अन्य* (2013) 9 एसईसी 54: 2013 (5) एससीआर 961; *महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम एवं अन्य बनाम सुसम्मा थॉमस एवं अन्य* (1994) 2 एससीसी 176; *सरला दीक्षित एवं अन्य बनाम बलवंत यादव एवं अन्य* (1996) 3 एससीसी 179: 1996 (3) एससीआर 30; *अबाती बेजबरूआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य* (2003) 3 एससीसी 148: 2003 (1) एससीआर 1229; *सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य* (2009) 6

एससीसी 121; **संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2012) 6 एससीसी 421: 2012 (3) एससीआर 1178––संदर्भित किए गये।

2. इस न्यायालय द्वारा रेशमा कुमारी मामले और राजेश मामले के मामलों में निर्धारित भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कानूनी सिद्धांतों के बीच प्रतीत होने वाले विरोधाभास को देखते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मामले में एक बड़ी पीठ को भेजा गया संदर्भ सही नहीं था। यहां तक कि दो जजों (या यहां तक कि तीन जजों) की पीठ के विचारों के साथ कथित टकराव या असहमति के मामले में भी संदर्भ, मामले को सीधे पांच जजों की पीठ को संदर्भित करने के लिए गठित निचली पीठ को अनुमति नहीं देता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पुष्पा (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.7.2014 को पारित निर्णय) के मामले में गठित दो न्यायाधीशों की पीठ इस मामले को बड़ी पीठ के पास नहीं भेज सकती थी। सही दृष्टिकोण यह होता कि मामले को समन्वित शक्ति वाली पीठ के समक्ष रखा जाता जिसने ***रेशमा कुमारी और *राजेश मामलों का फैसला किया यानी तीन न्यायाधीशों ने। [पैरा 7 और 9] [23-ए-बी, ई-एफ; 27-एफ-जी]

*भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मुंबई श्रमिक संघ एवं अन्य* (2001) 4 एससीसी 448: 2001 (3) एससीआर 208; *प्रदीप चंद्र परीजा और अन्य बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक और अन्य* (2002) 1 एससीसी 1: 2001 (5) पूरक एससीआर 460; *सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्यूनिटी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* (2005) 2 एससीसी 673:2004 (6) पूरक एससीआर 1054––पर भरोसा किया गया।

***रेशमा कुमारी एवं अन्य बनाम मदन मोहन एवं अन्य* (2013) 9 एससीसी 65: 2013 (2) एससीआर 706; *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य* (2013) 9 एससीसी 54: 2013 (5) एससीआर 961––संदर्भित किए गया।

न्यायालय द्वारा

चूंकि असहमति केवल स्व-रोज़गार या निर्भरता के मुआवजे में जोड़े जाने वाले निश्चित वेतन के मामले में भविष्य की संभावनाओं के संबंध में है, इसलिए उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक उपयुक्त बड़ी पीठ के गठन की दिशा में उचित आदेश के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है। उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,62,938/- रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा वर्तमान निर्णय की तारीख से चार सप्ताह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष जमा किया जाएगा ताकि अपीलकर्ता इसे निकाल ले सकें। [पैरा 1 और 2] [28-डी-एफ]

निर्णय विधि संदर्भ

न्यायमूर्ति भानुमती के निर्णय में:

| | | |
|---|---|---|
| 2013 (5) एससीआर 961 | भरोसा किया गया | पैरा 6 |
| 2013 (2) एससीआर 706 | भरोसा किया गया | पैरा 7 |
| 2009 (5) एससीआर 1098 | भरोसा किया गया | पैरा 9 |
| 2012 (3) एससीआर 1178 | भरोसा किया गया | पैरा 11 |
| 2002 (4) पूरक एससीआर 499 | भरोसा किया गया | पैरा 15 |
| 2009 (8) एससीआर 829 | भरोसा किया गया | पैरा 15 |
| 2009 (8) एससीआर 683 | भरोसा किया गया | पैरा 15 |
| 2013 (5) एससीआर 961 | भरोसा किया गया | पैरा 18 |
| 2013 (7) एससीआर 276 | भरोसा किया गया | पैरा 18 |

न्यायमूर्ति गोपाला गौड़ा के निर्णय में:

| | | |
|---|---|---|
| 2013 (2) एससीआर 706 | संदर्भित किया गया | पैरा 1 |
| 2013 (5) एससीआर 961 | संदर्भित किया गया | पैरा 1 |
| (1994) 2 एससीसी 176 | संदर्भित किया गया | पैरा 2 |
| 1996 (3) एससीआर 30 | संदर्भित किया गया | पैरा 2 |
| 2003 (1) एससीआर 1229 | संदर्भित किया गया | पैरा 2 |
| (2009) 6 एससीसी 121 | संदर्भित किया गया | पैरा 2 |
| 2012 (3) एससीआर 1178 | संदर्भित किया गया | पैरा 5 |
| 2001 (3) एससीआर 208 | भरोसा किया गया | पैरा 7 |
| 2001 (5) पूरक एससीआर 460 | भरोसा किया गया | पैरा 7 |
| 2004 (6) पूरक एससीआर 1054 | भरोसा किया गया | पैरा 7 |

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 से सिविल अपील सं. 2836

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एमएफए सं. 136/2009(एमवी) 1989 में दिनांक 15.07.2013 के निर्णय और आदेश से।

पंकज बाला वर्मा, डॉ. विपिन गुप्ता अपीलार्थियों के लिए

गर्वेश काबरा, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय और आदेश इनके द्वारा दिए गए थे

न्यायमूर्ति आर. भानुमती

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एम.एफ.ए. संख्या 136/2009 (एमवी) दिनांक 15.7.2013 के फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा, उच्च

न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बैंगलोर द्वारा पारित पुरस्कार को संशोधित किया (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे को 7,85,000/- रुपये से बढ़ाकर 14,69,372/- रुपये कर दिया।

3. अपीलकर्ता संख्या 1 पत्नी है, अपीलकर्ता संख्या 2 से 4 बच्चे हैं और अपीलकर्ता संख्या 5 से 6 मृतक स्वर्गीय श्री एच.एस. रवि के माता-पिता हैं। अपीलकर्ताओं ने मृतक श्री एच.एस. रवि की मृत्यु के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा याचिका दायर की है, जो 14.12.2006 को एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मृतक रवि मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर सवार होकर जा रहा था। मोटर साइकिल के सवार ने अचानक ब्रेक लगा दिया जिसके कारण सवार और पीछे बैठे दोनों व्यक्ति नीचे गिर गए और दोनों को गंभीर चोटें आईं। मोटर साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। रवि, जो पीछे बैठा था, गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालाँकि, छह दिन बाद यानी 20.12.2006 को, मृतक रवि ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मृतक- रवि की उम्र 45 वर्ष थी और वह मुख्य कार्यालय से अन्य स्थानों तक समाचार पत्रों की आपूर्ति करने के परिवहन व्यवसाय में लगा हुआ था। मृतक आयकर भरता था और आयकर निर्धारिती था। यह कहते हुए कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उन्होंने परिवार के कमाने वाले का सहारा खो दिया है, दावेदारों ने 33,90,000/- रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए दावा याचिका दायर की।

4. ट्रिब्यूनल ने मृतक-रवि की आय 75,000/- रुपये प्रति वर्ष मानी है और मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 की कटौती करते हुए, ट्रिब्यूनल ने निर्भरता के नुकसान की गणना 50,000/- रुपये प्रति वर्ष की है। मृतक की उम्र 46 वर्ष मानते हुए, ट्रिब्यूनल ने गुणक 13 को अपनाया और निर्भरता के नुकसान के लिए 6,50,000/- रुपये (50,000/- रुपये x 13) का मुआवजा दिया। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने 35,000/- रुपये (संघ के नुकसान के लिए 10,000/- रुपये, प्यार और

स्नेह की हानि के लिए 10,000/- रुपये, संपत्ति के नुकसान के लिए 10,000/- रुपये और 5,000/- रुपये अंतिम संस्कार व्यय) का पारंपरिक हर्जाना दिया और चिकित्सा व्यय के लिए 1,00,000/- रुपये, जबकि दावा 1,82,150/- रुपये का किया गया है। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल ने कुल 7,85,000/- रुपये का मुआवजा दिया है।

5. ट्रिब्यूनल के उक्त फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने मुआवजे को बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने मृतक की आय की पुनर्गणना करके निर्णय को संशोधित किया। उच्च न्यायालय ने आकलन वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए मृतक के आयकर रिटर्न को लेते हुए उसका औसत निकाला और आय 1,55,812/- रुपये प्रति वर्ष मानी। आयकर, व्यावसायिक कर और गृह संपत्ति से आय के लिए कटौती करने के बाद, उच्च न्यायालय ने मृतक की शुद्ध आय रु. 1,17,831/- प्रति वर्ष की गणना की। उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/4 की कटौती की और 88,373/- रुपये की शेष राशि में 14 का गुणक लगाया और तदनुसार ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 6,50,000/- रुपये के मुकाबले निर्भरता के नुकसान को 12,37,222/- रुपये पर फिर से निर्धारित किया। उच्च न्यायालय ने पारंपरिक क्षति 45,000/- रुपये और चिकित्सा व्यय 1,87,150/- रुपये तय करते हुए मुआवजा बढ़ाकर 14,69,372/- रुपये कर दिया। फिर भी मुआवज़े की मात्रा से व्यथित अपीलकर्ताओं ने यह अपील दायर की है।

6. अपीलकर्ताओं-दावेदारों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा न तो उचित था और न ही पर्याप्त था। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन वर्ष 2005-06 और 2006-07 की आय से औसत आय की गणना करने में गलती की। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य*[1] के मामले में निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय को भविष्य की संभावनाओं की गणना में मृतक की शुद्ध आय का 30% जोड़ना चाहिए था क्योंकि वर्तमान मामले में मृतक-रवि की आयु 40-50 वर्ष के बीच थी। यह भी प्रस्तुत

किया गया कि निचली अदालतों को संघ के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये और बच्चों-अपीलकर्ता संख्या 2 से 4 को प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए मुआवजे की पर्याप्त राशि देनी चाहिए थी।

7. प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि *रेशमा कुमारी और अन्य बनाम मदन मोहन और अन्य*[2] में, इस न्यायालय ने माना है कि जहां मृतक स्व-नियोजित था, वहां भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में कोई वृद्धि नहीं करना उचित होगा और उच्च न्यायालय ने सही रूप से भविष्य की संभावनाओं के लिए अतिरिक्त राशि जोड़ने से इनकार कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि मृतक व्यवसाय में लगा हुआ था और निश्चित आय अर्जित नहीं कर रहा था और उसने अलग-अलग वर्षों के लिए अलग-अलग आय दिखाते हुए रिटर्न दाखिल किया था, अर्थात निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए 1,08,713/- रुपये की सकल आय और 2,02,911/- रुपये निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए जो केवल मृतक की आय में असमानता को दर्शाता है। संतुलन बनाने के लिए, उच्च न्यायालय ने सही औसत निकाला है और आयकर और अन्य कटौतियों के लिए 10% की सही कटौती की है। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा उचित और पर्याप्त है और दावेदारों द्वारा मुआवजे को बढ़ाने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।

8. मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ आदेश और रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों का भी अध्ययन किया है।

9. मृतक समाचार पत्र समूह और स्वयं के बीच हुए समझौते के अनुसार प्रधान कार्यालय से अन्य स्थानों तक समाचार पत्रों की आपूर्ति का परिवहन व्यवसाय कर रहा था। यह भी विवाद में नहीं है कि मृतक आयकर निर्धारिती था और उसने निर्धारण वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया है। दावेदारों ने आकलन वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए मृतक के आयकर रिटर्न

दाखिल किए थे, जिसमें गृह संपत्ति से आय सहित क्रमशः कुल सकल आय 1,08,713/- रुपये और 2,02,911/- रुपये थी। दोनों वर्षों की कुल आय 3,11,624/- रुपये बनती है और उच्च न्यायालय ने इसका औसत निकाला है जो 1,55,812/- रुपये बनता है। उच्च न्यायालय ने उक्त राशि का 10% आयकर के रूप में काट लिया और शेष राशि 1,40,231/- रुपये ले ली। उच्च न्यायालय ने पेशेवर कर के रूप में 2,400/- रुपये की कटौती की थी और घर की संपत्ति से आय 20,000/- रुपये दिखाई गई थी और शुद्ध आय 1,17,831/- रुपये आँकी गई। चूँकि *सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य*[3] मामले के निर्णय के अनुसार दावेदारों की संख्या छह है, व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक-चौथाई (1/4) की कटौती की गई थी। इस प्रकार निर्भरता का नुकसान 88,373/- रुपये आंका गया। मृतक की आयु 45 वर्ष मानते हुए, उच्च न्यायालय ने गुणक 14 को अपनाया और निर्भरता की कुल हानि 12,37,222/- रुपये की गणना की।

10. मृतक की उम्र 45 वर्ष थी और वह ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था. हालांकि दावेदारों ने दो मूल्यांकन वर्षों 2005-06 और 2006-07 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया है, वर्ष 2006-07 के आयकर रिटर्न के अनुसार, निर्धारिती की आय 2,02,911/- रुपये थी। ट्रिब्यूनल ने आकलन वर्ष 2006-07 के लिए मृतक की आय को इस आधार पर नहीं लिया कि केवल ज़ेरॉक्स कॉपी दायर की गई थी और दावेदार इसे साबित करने के लिए आयकर अधिकारियों की जांच करने में विफल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने मृतक की आय को निर्धारण वर्ष 2006-07 के अनुसार लेने के बजाय, दो मूल्यांकन वर्षों 2005-06 और 2006-07 के लिए आय के औसत की गणना करने का विकल्प चुना है। मृतक की उम्र और उसके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से, उच्च न्यायालय द्वारा दो मूल्यांकन वर्षों की आय का औसत निकालना उचित नहीं था। मृतक की उम्र 45 वर्ष थी और वह व्यवसाय करता था। माना जाता है कि उसके पास कृषि भूमि भी थी। भले ही आयकर रिटर्न में कृषि

आय नहीं दिखाई गई हो, लेकिन साक्ष्यों से यह बात सामने आ रही है कि मृतक कृषि कार्य भी कर रहा था।

11. दावेदारों की ओर से, *राजेश* के मामले (ऊपर) पर भरोसा करते हुए कहा गया कि स्व-नियोजित व्यक्तियों या निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामले में भी, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वृद्धि होनी चाहिए। *सरला वर्मा* के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने माना कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में भविष्य की संभावनाओं की गणना करते समय मृतक की वास्तविक आय में मृतक की उम्र के आधार पर वृद्धि की जानी चाहिए। *संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य*[4] में, सरला वर्मा मामले को समझाया गया था और यह माना गया था कि जो व्यक्ति स्व-नियोजित हैं या निश्चित वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी कुल आय में अतिरिक्त लाभ की अनुमति है।

12. *संतोष देवी* के मामले (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांतों को *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य* (ऊपर) में दोहराया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि स्व-नियोजित व्यक्तियों या निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामले की वास्तविक आय गणना के प्रयोजन के लिए मृतक की आयु में वृद्धि की जानी चाहिए अर्थात (i) 50% जहां उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी; (ii) 30% जहां वह 40 से 50 वर्ष की आयु वर्ग का था, और (iii) 15% जहां वह 50 से 60 वर्ष की आयु समूह के बीच था। यद्यपि, यह माना गया कि जहां मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो, वहां ऐसी कोई योग/वृद्धि की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, *राजेश* (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने स्थापित सिद्धांतों के संदर्भ में "उचित मुआवजे" के अर्थ को दोहराते हुए कहा कि, इस तरह के मुआवजे को तय करने के समय, दावेदार के पक्ष में उचित मुआवज़ा देने के लिए अदालत को बारीकियों या तकनीकीताओं के आगे नहीं झुकना चाहिए। यह अदालत का कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो, मुआवजे को दुर्घटना के कारण होने वाले दुख के बराबर रखा जाए ताकि घायल या आश्रितों को पीड़ित द्वारा

अर्जित आय बंद होने के कारण जीवन की अनिश्चितताओं का सामना न करना पड़े, और अदालत का कर्तव्य है कि दावा चाहे जो भी किया गया हो, निष्पक्ष, न्यायसंगत, उचित और पर्याप्त मुआवजा देना है।

13. *रेशमा कुमारी और अन्य बनाम मदन मोहन और अन्य*[5] में, वेतनभोगी व्यक्तियों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वृद्धि करने के सवाल पर विचार करते हुए उन मामलों की तुलना में जहां मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित मजदूरी/वेतन पर था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

> "39. भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में वृद्धि के मानकीकरण से उचित मुआवजे पर पहुंचने में निश्चितता हासिल करने में मदद मिलेगी। हम इस पद्धति को मंजूरी देते हैं कि मृतक की वास्तविक वेतन आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए वास्तविक वेतन का 50% जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और वह 40 वर्ष से कम था और यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष है तो यह वृद्धि केवल 30% होनी चाहिए और जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक है, वहां कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। जहां वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वास्तविक वेतन का मतलब कर घटाकर वास्तविक वेतन होगा। ऐसे मामलों में जहां मृतक स्व-रोज़गार था या वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर था, भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में कोई वृद्धि किए बिना मृत्यु के समय वास्तविक आय उचित होगी। उपरोक्त सिद्धांत से विचलन को केवल असाधारण परिस्थितियों और बहुत असाधारण मामलों में ही उचित ठहराया जा सकता है।"

14. *रेशमा कुमारी* के मामले में फैसला पहले (2.04.2013) सुनाया गया था और *राजेश* के मामले में बाद में (12.04.2013) सुनाया गया था। उपरोक्त मामलों में व्यक्त की गई भिन्न राय को इंगित करते हुए और यह विचार व्यक्त करते हुए कि स्व-नियोजन या निश्चित वेतन पर भविष्य की संभावनाओं के लिए आय जोड़ने के तरीके के संबंध में एक आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए, *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम पुष्पा* {एस.एल.पी. (सी) नंबर 16735/2014} में, मामले को दिनांक 2.07.2014 के आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया है, जिसमें हम में से एक (माननीय श्री न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा) सदस्य थे, जिस पर विचार चल रहा है।

15. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को मुआवजे की राशि निर्धारित करने का आदेश देती है जो उचित और पर्याप्त प्रतीत होती है। ऐसी शक्ति का व्यापक दायरा न्यायाधिकरण को मनमाने ढंग से मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता है, हालांकि अधिनियम एक लाभकारी कानून है, इसे न तो लाभ के स्रोत के रूप में और न ही प्रभावित व्यक्तियों के लिए अप्रत्याशित लाभ के रूप में अनुमति दी जा सकती है। मुआवज़े का निर्धारण निष्पक्ष और उचित तथा कानूनी मानकों के अनुसार स्वीकार्य होना चाहिए। *नागप्पा बनाम गुरुदयाल सिंह एवं अन्य*[6] में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:-

> "10. इसके बाद, धारा 168 दावा न्यायाधिकरण को "उचित प्रतीत होने वाली मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक आदेश देने" का अधिकार देती है। इसलिए, मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि यह "न्यायसंगत" होना चाहिए। उचित मुआवज़ा देने की उसकी शक्ति पर कोई अन्य सीमा या प्रतिबंध नहीं है"

*ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहम्मद नासिर और अन्य*[7], और *निंगम्मा और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*[8] के फैसलों में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था।

16. इस मुद्दे पर ध्यान दिए बिना कि क्या भविष्य की संभावनाओं के लिए कुछ अतिरिक्त किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उचित मुआवजा देना न्यायालय की ओर से अनिवार्य है, मृतक की उम्र और उसके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से, वर्ष 2006-07 के आयकर रिटर्न में बताई गई मृतक की आय यानी 2,02,911/- रुपये को मृतक की आय के रूप में लिया जा सकता है। उक्त राशि का दस प्रतिशत यानी 20,290/- रुपये आयकर के रूप में काटा जाएगा और शेष 1,82,620/- रुपये होगा। व्यावसायिक कर के लिए कटौती की जाने वाली राशि 2,400/- रुपये है और इसे काटने के बाद शेष राशि 1,80,220/- रुपये बनती है। वर्ष 2006-07 के लिए गृह संपत्ति से आय 20,000/- रुपये दिखाई गई है और इसे घटाने के बाद, शुद्ध राशि 1,60,220/- रुपये होती है। व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक चौथाई (एक/चौथाई) घटाकर जोकि 40,055/- रुपये बनता है, निर्भरता की हानि/योगदान की हानि 1,20,165/- रुपये प्रति वर्ष आती है।

17. जहां तक उपयुक्त गुणक की बात है, ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार मृतक की जन्म तिथि 16.6.1961 थी। दुर्घटना की तारीख यानी 14.12.2006 को, मृतक की उम्र 45 साल, 5 महीने और 28 दिन थी और न्यायाधिकरण ने उम्र 46 साल मानी है। चूंकि मृतक ने केवल 45 वर्ष पूरे किए हैं, इसलिए उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु को 45 वर्ष सही माना है और गुणक 14 को अपनाया है जो उचित गुणक है और वही कायम रखा गया है। निर्भरता की कुल हानि की गणना 16,82,310/- रुपये (1,20,165/- रुपये x 14) पर की गई है।

18. पारंपरिक मदों के मुआवजे के आदेश के संबंध में, न्यायाधिकरण ने संघ के नुकसान के लिए केवल 10,000/- रुपये और प्यार और स्नेह के लिए 10,000/- रुपये, संपत्ति के नुकसान के लिए 10,000/- रुपये और 5,000/- रुपये का फैसला सुनाया है। अंतिम संस्कार शुल्क. उच्च न्यायालय ने संपत्ति की हानि, प्यार और स्नेह की हानि, कंसोर्टियम की हानि, शव के परिवहन और अंतिम संस्कार के खर्च जैसे पारंपरिक मदों के लिए पूरी तरह से 45,000/- रुपये दिए। विभिन्न निर्णयों में, इस न्यायालय ने माना है कि संघ की हानि, प्रेम और स्नेह की हानि और अंतिम संस्कार के खर्च जैसे पारंपरिक नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य,* (ऊपर) और *जीजू कुरुविला और अन्य बनाम कुंजुजम्मा मोहन और अन्य*[9] में, इस न्यायालय ने कंसोर्टियम के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये और प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 25,000/- रुपये की पर्याप्त राशि का फैसला सुनाया है। इसके बाद, संघ के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये और नाबालिग बच्चों के प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए 1,00,000/- रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 25,000/- रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 25,000/- रुपये, कुल 2,50,000/- रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार, दावेदारों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़कर 19,32,310/- रुपये हो गया है।

19. परिणामस्वरूप, दावेदारों को दिया गया मुआवजा बढ़ा दिया गया है और मुआवजा 19,32,310/- रुपये दिया गया है। बढ़े हुआ मुआवजे के 4,62,938/- रुपये दावा याचिका की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देय है। बढ़े हुए मुआवजे के 4,62,938/- रुपये में से, 3,12,938/- रुपये अर्जित ब्याज के साथ मृतक की पहली अपीलकर्ता-पत्नी को भुगतान किया जाएगा, शेष 1,50,000/- रुपये अर्जित ब्याज के साथ 2 से 4 दावेदारों के बीच बांटा जाएगा। यदि अपीलकर्ता 2 से 4 अभी भी नाबालिग दावेदार हैं, तो बढ़े हुए मुआवजे का उनका

हिस्सा उन शर्तों पर जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाएगा एक राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश किया जाएगा। यदि अपीलकर्ता संख्या 2 से 4 पहले ही वयस्क हो चुके हैं, तो उन्हें विभाजित मुआवजे का अपना पूरा हिस्सा वापस लेने की अनुमति है।

20. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को संशोधित किया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

---

1. (2013) 9 एससीसी 54

2. (2013) 9 एससीसी 65

3. (2009) 6 एससीसी 121

4. (2012) 6 एससीसी 421

5. (2012) 6 एससीसी 421

6. (2003) 2 एससीसी 274

7. (2003) 2 एससीसी 274

8. (2003) 2 एससीसी 274

9. (2013) 9 एससीसी 166

**न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा**

1. मैंने उपर्युक्त मामले में मेरी विद्वान बहन श्रीमती न्यायमूर्ति आर भानुमति द्वारा लिखे गए फैसले का अध्ययन किया है। मैं अपीलकर्ताओं-दावेदारों के पक्ष में उत्तर दिए गए सभी बिंदुओं से सम्मानजनक रूप से सहमत हूं, वेतनभोगी व्यक्तियों की तुलना में जहां मृतक स्व-नियोजित था या निश्चित वेतन पर था के मामले में भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वृद्धि करने के सवाल पर विचार न करने को छोड़कर, *रेशमा कुमारी और अन्य बनाम मदन मोहन और अन्य*[1], *राजेश और अन्य बनाम राजबीर सिंह और अन्य*[2] में इस न्यायालय के निर्णयों के उल्लेख के बाद जहां मृतक स्व-नियोजित या निश्चित वेतन पर था, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ इसके बाद निकाले गए हैं।

2. (1) *महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम एवं अन्य बनाम सुसम्मा थॉमस एवं अन्य*[3] (2) *सरला दीक्षित और अन्य बनाम बलवंत यादव और अन्य*[4] और (3) *अबाती बेजबरुआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य*[5] के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, *सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य*[6] के मामले में इस न्यायालय ने, भविष्य की संभावनाओं के सवाल पर, निम्नानुसार निर्णय लिया है:-

"24. *सुसम्मा थॉमस* में, इस न्यायालय ने आय में लगभग 100% की वृद्धि की, सरला दीक्षित में आय में केवल 50% की वृद्धि हुई और अबाती बेजबरुआ में आय में केवल 7% की वृद्धि हुई। असंभावताओं और अनिश्चितताओं को देखते हुए, हम एक सामान्य नियम के रूप में, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की वास्तविक वेतन आय में वास्तविक वेतन का 50% जोड़ने को अपनाने के पक्ष में हैं, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम थी। (जहां वार्षिक आय कर-योग्य

सीमा में है, वहां "वास्तविक वेतन" शब्द को "कर घटाकर वास्तविक वेतन " के रूप में पढ़ा जाना चाहिए)। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष है तो जोड़ केवल 30% होना चाहिए। जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक हो, वहां कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। हालाँकि साक्ष्य वृद्धि के अलग-अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, लेकिन अलग-अलग मानदंडों को लागू करने या गणना के विभिन्न तरीकों को अपनाने से बचने के लिए जोड़ को मानकीकृत करना आवश्यक है। जहां मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना), अदालतें आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेंगी। वहां से हटना केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।"

3. दिलचस्प बात यह है कि *रेशमा कुमारी एवं अन्य* (ऊपर) मामले में, जिसका निर्णय अंततः 2.4.2013 में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था, जो दो न्यायाधीशों की पीठ के दिनांक 23.7.2009 के आदेश द्वारा संदर्भित मामले से उत्पन्न हुआ था। उस आदेश में दो प्रश्नों संदर्भित थे:-

> "(1) क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 अधिनियम") से जुड़ी दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट गुणक को सभी मामलों में ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए?
>
> और
>
> (2) क्या गुणक के निर्धारण के लिए, 1988 अधिनियम किसी भी मानदंड का प्रावधान करता है, विशेष रूप से भविष्य की संभावना के निर्धारण के संबंध में।"

4. संदर्भ देने वाली पीठ (*रेशमा कुमारी और अन्य* में-ऊपर) ने वास्तव में एक ऐसी स्थिति की कल्पना की थी, जहां निजी रोजगार में भी भविष्य की संभावनाओं को

ध्यान में रखा जाना था (हालांकि थोड़ा अलग संदर्भ में)। *रेशमा कुमारी और अन्य* के मामले में इस न्यायालय की संदर्भ पीठ का प्रासंगिक पैराग्राफ यहां दिया गया है:-

> "46. भारतीय संदर्भ में आश्रितों की शिक्षा और नौकरी की प्रकृति सहित कई अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों और वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर, भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा,न केवल कर्मचारी की स्थिति, उसकी शैक्षिक योग्यता; उसका पिछला प्रदर्शन, बल्कि अन्य प्रासंगिक कारक, अर्थात् उच्च वेतन और भत्ते जो इन दिनों निजी कंपनियों द्वारा पेश किए जा रहे हैं..."

अंततः, रेशमा कुमारी के मामले में भविष्य की संभावनाओं का प्रश्न इस न्यायालय की बड़ी पीठ के फैसले में तय किया गया। प्रासंगिक अनुच्छेद यहां नीचे दिया गया है:

> "39. भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में वृद्धि के मानकीकरण से उचित मुआवजे पर पहुंचने में निश्चितता हासिल करने में मदद मिलेगी। हम इस पद्धति को मंजूरी देते हैं कि मृतक की वास्तविक वेतन आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए वास्तविक वेतन का 50% जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और वह 40 वर्ष से कम आयु का था और यह वृद्धि केवल 30% होनी चाहिए यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष थी और जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक हो, वहां कोई जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। जहां वार्षिक आय कर-योग्य सीमा में है, वास्तविक वेतन का मतलब कर घटाकर वास्तविक वेतन होगा। ऐसे मामलों में जहां मृतक स्व-नियोजित था या वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रावधान के बिना एक निश्चित

वेतन पर था, भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में कोई वृद्धि किए बिना मृत्यु के समय वास्तविक आय उचित होगी। उपरोक्त सिद्धांत से विचलन को केवल असाधारण परिस्थितियों और बहुत असाधारण मामलों में ही उचित ठहराया जा सकता है।"

5. *संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य*[7] में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने पहले *सरला वर्मा* (ऊपर) में भविष्य की संभावनाओं के संबंध में निर्णय पर संदेह किया था और किसी व्यक्ति को मुआवजा राशि देने की सीमा को सीमित करने की व्याख्या की थी और स्व- नियोजित, निजी तौर पर नियोजित या निश्चित वेतन पर लगे व्यक्ति को मुआवजा राशि देने की सीमा को सीमित करने की व्याख्या की, यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। *संतोष देवी* के मामले में इस न्यायालय द्वारा चर्चा किए गए प्रासंगिक पैराग्राफ यहां दिए गए हैं: -

"14. हमें *सरला वर्मा* मामले में फैसले के पैरा 24 में की गई टिप्पणी के किसी भी औचित्य को समझना बेहद मुश्किल लगता है कि जहां मृतक स्व- नियोजित था या वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर था, वहां न्यायालय आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेंगे और इस नियम से हटना केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, यह कहना मूर्खतापूर्ण होगा कि ऐसे व्यक्ति का वेतन या कुल परिलब्धियाँ/आय जो स्व-नियोजित है या जो वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर कार्यरत है, जीवन भर वही रहेगी।

15. जीवन-यापन की लागत में वृद्धि का प्रभाव सभी पर पड़ता है। यह अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं करता। वास्तव में, कीमतों में

वृद्धि का प्रभाव, जो सीधे जीवनयापन की लागत को प्रभावित करता है, अमीरों पर न्यूनतम और उन लोगों पर अधिकतम होता है जो स्व-नियोजित हैं या जो निश्चित आय/परिलब्धियाँ प्राप्त करते हैं। वे सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं। इसलिए, वे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आवश्यक अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं।

16. बढ़ती कीमतों के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों/साधनों के तहत कार्यरत लोगों के वेतन को समय-समय पर संशोधित किया गया है और मृत कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। निजी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों का वेतन भी कई गुना बढ़ गया है। लगभग दो दशक पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन पांच अंकों में होगा और सेवा के उच्च पदों पर बैठे लोगों की कुल परिलब्धियां एक लाख रुपये के आंकड़े को पार कर जाएंगी।

17. यद्यपि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के वेतन/आय में समान वृद्धि दर्ज नहीं की गई है और यह सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के वेतन में वृद्धि के अनुरूप नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लोग स्व-रोज़गार में हैं और यहां तक कि जो लोग दैनिक आधार पर, मासिक आधार पर या यहां तक कि मौसमी आधार पर काम करते हैं, उनकी आय में वृद्धि हुई है। हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि जीवन यापन की उच्च लागत से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से, बाद की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति समय-समय पर अपने श्रम की

लागत में वृद्धि करते हैं। इस सन्दर्भ में एक दर्जी का उदाहरण देना उपयोगी हो सकता है जो कपड़े सिलकर अपनी जीविका चलाता है। यदि जीवन-यापन की लागत बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसके लिए अपने श्रम की लागत में वृद्धि करना स्वाभाविक है। सामान्य कुशल और अकुशल श्रमिकों जैसे नाई, लोहार, मोची, राजमिस्त्री आदि के मामले भी ऐसे ही होंगे।

18. इसलिए, हमें नहीं लगता कि *सरला वर्मा* फैसले के पैरा 24 की अंतिम तीन पंक्तियों में टिप्पणियाँ करते समय, न्यायालय ने एक पूर्ण नियम बनाने का इरादा किया था कि ऐसे व्यक्ति की आय में कोई वृद्धि नहीं होगी जो स्व-नियोजित है या जिसे निश्चित वेतन मिलता है। बल्कि, यह कहना उचित होगा कि एक व्यक्ति जो स्व-नियोजित है या निश्चित वेतन पर लगा हुआ है, उसकी भी एक निश्चित अवधि में कुल आय में 30% की वृद्धि होगी और यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो मुआवज़े की राशि की गणना के लिए भी यही फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए।"

6. *राजेश और अन्य* (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने, *सरला वर्मा और अन्य* और *संतोष देवी* (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखा और इस प्रकार कहा:

"8. चूंकि, *संतोष देवी* मामले में न्यायालय का इरादा वास्तव में *सरला वर्मा* मामले में निर्धारित वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में सिद्धांत का पालन करना था और इसे स्व-नियोजन वाले और निश्चित वेतन पर रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू करना था, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उन समूहों के मामले में वृद्धि हमेशा 30%

नहीं होती है; इसमें उम्र का भी संदर्भ होगा। दूसरे शब्दों में, स्व-नियोजन या निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि मृतक पीड़ित की आयु 40 वर्ष से कम थी, तो भविष्य की संभावनाओं की गणना करते समय मृतक की वास्तविक आय में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तविक आय कर का भुगतान करने के बाद की आय होनी चाहिए, यदि कोई हो। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच हो तो 30% वृद्धि होनी चाहिए।"

7. इसके अलावा, *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पुष्पा* में, इस न्यायालय ने 2014 की एसएलपी नंबर 16735 (2014 की सीसी नंबर 8058 से उत्पन्न) में दिनांक 2.7.2014 के आदेश के तहत *रेशमा कुमारी एवं अन्य* तथा *राजेश एवं अन्य* (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कानूनी सिद्धांतों के बीच प्रतीत होने वाले टकराव को देखते हुए एक बड़ी पीठ का संदर्भ दिया।। *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी* मामले (ऊपर) से प्रासंगिक पैरा यहां नीचे दिया गया है: -

"यह ध्यान देने योग्य है, हालांकि *रेशमा* (ऊपर) में निर्णय पूर्व समय में ही दे दिया गया था, जैसा कि स्पष्ट है, *राजेश* (ऊपर) में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसीलिए अलग-अलग राय व्यक्त की गई है। हमारी सुविचारित राय है कि जहां तकभविष्य की संभावनाओं की आय में वृद्धि के तरीके का संबंध है, एक आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए। इसलिए, हम इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजना उचित समझते हैं।"

हालाँकि, मैं उपरोक्त संदर्भ में एक पक्ष हूँ, साथ ही, यह उल्लेख करने योग्य है कि दो जजों (या यहां तक कि तीन जजों) की पीठ के विचारों के साथ कथित टकराव या असहमति के मामले में भी संदर्भ किसी नीचे गठित पीठ को मामले को सीधे पांच जजों की पीठ के पास भेजने की अनुमति नहीं देता है। यह सिद्धांत *भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मुंबई श्रमिक संघ और अन्य*[8] में बताया गया था। उस फैसले में, संविधान पीठ ने कहा कि संविधान पीठ का एक निर्णय इस न्यायालय के दो और तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को बांधता है और न्यायिक अनुशासन उन्हें इसका पालन करने के लिए बाध्य करता है, भले ही इसकी शुद्धता के बारे में उनके संदेह हों। अधिक से अधिक वे यह निर्देश दे सकते हैं कि मामले की सुनवाई तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाए। *प्रदीप चंद्र पारिजा और अन्य बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक और अन्य*[9] में, दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की और मामले को पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। संविधान पीठ ने माना कि 'न्यायिक अनुशासन और औचित्य' के नियम के साथ-साथ उदाहरणों के सिद्धांत केवल उसी कोरम की एक पीठ निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए समन्वित शक्ति वाली एक अन्य पीठ पर सवाल उठाने की अनुमति देते है, जिस पर मामले को बड़े कोरम की पीठ द्वारा विचार के लिए रखा जा सकता है। इस प्रकार, कम कोरम की कोई पीठ, बड़ी कोरम की पीठ के विचार से असहमति व्यक्त नहीं कर सकती है, या उसकी सत्यता पर सवाल नहीं उठा सकती है। *सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्यूनिटी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य*[10] ने भविष्य के मार्गदर्शन के लिए, ऐसे मामलों में सही दृष्टिकोण का सारांश दिया। उक्त मामले का प्रासंगिक पैरा यहां नीचे दिया गया है: -

> "12. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार करने और उपरोक्त निर्णयों में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित

कानून की जांच करने के बाद, हम कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में सारांशित करना चाहेंगे:

(1) बड़ी संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून कम या बराबर संख्या वाली किसी भी अगली पीठ पर बाध्यकारी है।

(2) कम कोरम की एक पीठ बड़ी कोरम की पीठ द्वारा अपनाए गए कानून के दृष्टिकोण से असहमत या विरुद्ध नहीं हो सकती है। संदेह की स्थिति में कम कोरम वाली पीठ केवल मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित कर सकती है और मामले को उस पीठ से अधिक कोरम वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखने का अनुरोध कर सकती है, जिसका फैसला विचार के लिए आया है। यह केवल समान शक्ति वाली पीठ के लिए ही खुला होगा कि वह पिछली समान शक्ति वाली पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह करते हुए अपनी राय व्यक्त कर सके जिसके बाद मामले को सुनवाई के लिए उस पीठ के समक्ष रखा जा सकता है, जिसमें उस पीठ से अधिक कोरम शामिल हो, जिसने उस कानून को निर्धारित करते हुए निर्णय सुनाया था, जिसकी शुद्धता पर संदेह है।

(3) उपरोक्त नियम दो अपवादों के अधीन हैं:

(i) उपर्युक्त नियम मुख्य न्यायाधीश के विवेक को बाध्य नहीं करते हैं जिसमें रोस्टर तैयार करने की शक्ति निहित है और जो किसी विशेष मामले को किसी भी

शक्ति की किसी विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दे सकता है; और

(ii) यहां ऊपर दिए गए नियमों के बावजूद, यदि मामला पहले से ही बड़ी कोरम की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आ चुका है और उस बेंच को खुद लगता है कि कम कोरम की बेंच ने कानून के बारे में जो विचार रखा है, संदेह है, सुधार या पुनर्विचार की आवश्यकता है तब अपवाद के माध्यम से (और एक नियम के रूप में नहीं) और इसके द्वारा दिए गए कारणों के लिए, यह मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है और किसी विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता या बेंच का गठन करने वाले मुख्य न्यायाधीश के आदेश और ऐसी लिस्टिंग के बिना पिछले निर्णय की सत्यता की जांच कर सकता है। रघुबीर सिंह और हंसोली देवी के मामले में भी यही स्थिति थी।"

8. इसलिए, मेरी राय है कि *राजेश और अन्य* (ऊपर) ने स्वयं *संतोष देवी* (ऊपर) मामले को लागू किया, यहां तक कि यह स्पष्ट करते हुए कि स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए, उम्र भी एक निर्धारण कारक है, जैसा कि अवलोकन में देखा गया है *राजेश और अन्य* (ऊपर) के मामले में, स्व-नियोजित या निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि मृतक पीड़ित की आयु 40 वर्ष से कम थी, भविष्य की संभावनाओं की गणना करते समय मृतक की वास्तविक आय में 50% की वृद्धि होनी चाहिए।

वास्तव में, यह इस दृष्टिकोण को आकार देता है कि स्व-नियोजित के मामले में भी भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह भी कि इस तरह के मुआवजे के निर्धारण के लिए कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम अनुप्रयोग *संजय वर्मा बनाम हरियाणा रोडवेज*[11] में देखा जा सकता है जहां निम्नलिखित तथ्य देखे गए:

"12. अपीलकर्ता एक स्व-नियोजित व्यक्ति था। हालाँकि उसने 5000/- रुपये की मासिक आय का दावा किया था, लेकिन उसके

द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न से पता चलता है कि उसने 41,300/- रुपये की वार्षिक आय पर आयकर का भुगतान किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है जो इस आधार पर आगे बढ़ता है कि दुर्घटना के समय दावेदार की वार्षिक आय 41,300/- रुपये थी..."

फिर, इस न्यायालय ने *सरला वर्मा और अन्य, संतोष देवी और रेशमा कुमारी और अन्य* तथा *राजेश और अन्य* (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों पर गौर करने के बाद *संजय वर्मा* के मामले में (ऊपर) कानून को निम्नलिखित तरीके से लागू किया।:-

"16. निस्संदेह, किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित की पूर्ण विकलांगता के कारण होने वाली आय की हानि के निर्धारण के लिए वही सिद्धांत लागू होगा जैसा कि वर्तमान मामले में है। इसलिए, दावेदार की उम्र (25 वर्ष) और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी आय स्थिर थी, जैसा कि आयकर रिटर्न से पता चलता है, हमारा विचार है कि दुर्घटना के समय दावेदार जो आय अर्जित कर रहा था उसमें 50% की वृद्धि उचित होगी।

17. जहां तक गुणक का सवाल है, जैसा कि *सरला वर्मा* में माना गया है या जैसा कि अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत निर्धारित किया गया है, वर्तमान मामले में सही गुणक 15 नहीं हो सकता जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना है। हमारा विचार है कि 17 के गुणक को अपनाना उचित होगा। तदनुसार, आय में वृद्धि और उच्च गुणक को ध्यान में रखते हुए, "आय की हानि" शीर्षक के तहत दावेदार को देय

मुआवजे की कुल राशि 10,53,150/- रुपये (41,300/- + 20,650/- रुपये) = रु 61,950/- x 17) है।"

*राजेश और अन्य* के मामले में तीन जजों की बेंच द्वारा स्थिति के स्पष्टीकरण से वास्तव में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि विभिन्न बेंचों के विचारों के बीच विरोधाभास था, क्योंकि *संतोष देवी* ने स्वयं *सरला वर्मा* को नोटिस किया था, तर्क जिसमें गैर-स्थायी रोजगार के लिए मुआवजे को सीमित करने के संबंध में तर्क को स्पष्ट किया गया था।

9. उपरोक्त तथ्य विभिन्न आदेशों और निर्णयों के संयुक्त अध्ययन से उभरी स्थिति का वर्णन करते हैं। जो स्पष्ट है वो यह है की दो न्यायाधीशों की पीठ जैसा की गठन था *नैशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम पुष्पा* (ऊपर) *सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी* (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले में उल्लिखित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास नहीं भेज सकती थी।

10. हालाँकि, मैं इस बात से सहमत हूँ कि निर्भरता के नुकसान के मुआवजे को निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय में जोड़े जाने वाली भविष्य की संभावनाओं के संबंध में मामला अंतिम रूप से हमारे द्वारा तय नहीं किया जा सकता है और अंततः इसे एक बड़ी बेंच को भेजा जाना है- क्योंकि मैं *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पुष्पा* (ऊपर) मामले में संदर्भ में एक पक्ष था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उस संदर्भ को शिष्टता में वापस नहीं ले सकता हूँ, जबकि मैं वर्तमान में एक अन्य पीठ का हिस्सा हूं। टिप्पणियों के मद्देनजर, कानून के अनुसार एक उपयुक्त बड़ी पीठ के गठन के लिए उचित आदेश के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।

## आदेश

1. चूंकि हम केवल स्व-नियोजन या निश्चित वेतन के मामले में भविष्य की संभावनाओं को निर्भरता के मुआवजे में जोड़ने के संबंध में असहमत हैं, उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक उपयुक्त बड़ी पीठ के गठन की दिशा में उचित आदेश के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

2. उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,62,938/- रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा वर्तमान निर्णय की तारीख से चार सप्ताह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष जमा किया जाएगा ताकि अपीलकर्ता इसे निकाल ले सकें।

मामला बड़ी पीठ को भेजा गया।

कल्पना के. त्रिपाठी

---

1. (2013) 9 एससीसी 65

2. (2013) 9 एससीसी 54

3. (1994) 2 एससीसी 176

4. (1996) 3 एससीसी 179

5. (2003) 3 एससीसी 148

6. (2009) 6 एससीसी 121

7. (2012) 6 एससीसी 421

8. (2001) 4 एससीसी 65

9. (2013) 9 एससीसी 54

10. (2005) 2 एससीसी 673

11. (2014) 3 एससीसी 210

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।